कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

1/3

कमांक– / / आउशि / शा–5'अ' / 2020.   भोपाल, दिनांक– 29 / 08 / 2020.
31

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त / अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः–सत्र 2020–21 में स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन ई–प्रवेश प्रक्रिया / सत्यापन तथा शुल्क भुगतान हेतु निर्देश।

––00––

कोरोना (कोविड–19) को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020–21 में स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन ई–प्रवेश प्रक्रिया / सत्यापन तथा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

2. कोराना (कोविड–19) के परिप्रेक्ष्य में स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु किसी भी आवेदक को सीट आवंटन के उपरान्त शुल्क जमा करने हेतु प्रवेशित शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में लिंक इनीशिएट कराने के लिए नहीं जाना है। आवेदक शुल्क जमा करने हेतु सीट आवंटन पत्र 'डाउनलोड' करते ही शुल्क जमा करने हेतु एम.पी. ऑनलाइन के ई–प्रवेश पोर्टल पर प्रदत्त "शुल्क लिंक" से आवेदक किसी भी बैंक से ऑनलाइन शुल्क Net Banking/ATM Debit/Credit Card/UPI Wallet अथवा अधिकृत कियोस्क के माध्यम से जमा कर सकता है। निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अंतरिम रूप से प्रवेश मान्य हो सकेगा। महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य आरंभ होने पर निर्धारित शुल्क की शेष राशि दो किश्तों में प्रवेशित महाविद्यालय में ऑनलाइन जमा की जाएगी।

3. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के पात्र आवेदक प्रवेश शुल्क भुगतान के समय योजना का चयन कर निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के पश्चात् संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही योजना का लाभ सुनिश्चित होगा। अपात्र पाये जाने पर महाविद्यालय द्वारा आवेदक से निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य होगा।

4. प्रथम चरण के पश्चात् नवीन पंजीयन कराने वाले एवं पूर्व पंजीकृत ऐसे आवेदक जिनके पंजीयन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ है, केवल ऐसे आवेदकों अथवा उनके अभिभावकों द्वारा निकट के किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य है।

5. कोराना (कोविड–19) के परिप्रेक्ष्य में स्नातक / स्नातकोत्तर के पाठ्यकमों में ऑनलाइन शुल्क जमा करने के उपरांत शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा घोषित समय सीमा में आवेदक को प्रवेश प्राप्त करने वाले शासकीय / अनुदान प्राप्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल टी.सी., माईग्रेशन, एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य होगा। तभी आवेदक का प्रवेश नियमित माना जायेगा। निर्धारित समय–सीमा में दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्थानीय समाचार पत्रों/केबल नेटवर्क के माध्यम से निर्देशों का प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः– प्रेस नोट।

सही/–
(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ0 कमांक/अका./2020/5388 "अ" जबलपुर, दिनांक 7/9/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जिला–जबलपुर।
2. विश्वविद्यालय से संबंद्व समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यगण।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर ।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्/छात्र कल्याण, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. कुलपति जी के सचिव, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर ।

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर